MR. SPEAKER: It is under my consideration.

(Interruptions)

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): I did not get any communication from you, Sir..

*(Interruptions)***

MR. SPEAKER: Not allowed. Don't record.

*(Interruptions)***

SHRI HARIKESH BAHADUR: Sir, I have not received any communication from you so far. I had given a notice on breach of privilege against the Labour Minister regarding the payment for 'khesari' dhal to the labourers in Madhya Pradesh.

अध्यक्ष महोदय : आप आ करके बात करिए ।

श्री हरिकेश बहादुर : इसमें आकर क्या बात करें ।

MR. SPEAKER: I have allowed a Calling Attention Motion on this tomorrow.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हर एक सब्जेक्ट जिसमें कुछ करने वाला होता है, करते हैं । लेकिन इस तरह से करने का कोई फ़ायदा नहीं है । I do not give any assurance on the floor of the House. All these things are not discussed here like this.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे फ़ायदा न आपको होता है और न किसी और को ।

12.06 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED PARALLEL TEXTILE TRADE IN SPURIOUS FABRICS IN DELHI AND OTHER PARTS OF THE COUNTRY

श्री राजेश कुमार सिंह (फ़िरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वाणिज्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में नकली वस्त्र के समानान्तर वस्त्र व्यापार के समाचार और इसके बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

(व्यवधान)**

12.09 hrs.

Sarvoshri Rajnath Sonkar and R. N. Rakesh then left the House

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): There have been recent newspaper reports about cheating of textile buyers and flooding the markets with spurious fabrics by a parallel industry.

Verified reports of large-scale manufacture and sale of imitation textiles have not been received in the Ministry and the Textile Commissioner's office, although there have been a few complaints from time-to-time There is no control on the distribution and sale of textiles except for controlled cloth.

The Trade and Merchandise Marks Act, 1958 administered by the Ministry of Civil Supplies contains provisions for preventing and penalising offences relating to stamping of false trade marks or misleading description on the merchandise.

**Not recorded.

The Act provides for both civil and criminal remedies. The aggrieved parties can always avail of the provisions of the Act and proceed against offenders by initiating civil or criminal proceedings in the Courts of Law.

श्री राजेश कुमार सिंह : माननीय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मत्रालय तथा वस्त्र आयुक्त की कार्यालय में नकली वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री की प्रमाणिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े पैमाने पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है लेकिन छोट पैमाने पर प्राप्त हो गई है । बहरहाल "हिन्तुस्तान टाइम्स" में जो आया था उसमें कुछ व्यपारियों, क्लाथ मर्चेंट वगैरह के नाम भी दिये गए हैं और कुछ बजारों के नाम भी दिए गए हैं लेकिन आपने उनके बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया है । साथ-ही साथ इसमें एक बात और भी कही गई है; अखबार की रिपोर्ट में, एक साहब ने संभवत: जगजीत काटन मिल्स के एग्जिक्यूटिव है, उन्होंने शिकायत की लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नही की गई । माननीय मंत्री जी ने समाचार-पत्र देख लिया लेकिन उस पर कोई जानकारी हासिल करने का प्रयत्न नहीं किया ।

मैं इसकी बुनियादी बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस देश में स्पूरियस ड्रग्ज तो बन ही रही थी अब नकली वस्त्र बन रहे हैं । ऐसा क्यों हो रहा है ? आप जानते हैं कि रोजाना की जरूरत की चीजों में भोजन, कपड़ा और मकान आते हैं । भोजन के बाद कपड़े की आवश्यकता है लेकिन इस देश में नागरिकों को कपड़ा कितना उपलब्ध है क्यों यह नकली वस्त्र बनते हैं और क्यों लोग खरीदते हैं, यह बुनियादी प्रश्न है, जिसकी तरफ़ सरकार का ध्यान जाना चाहिए । मेरे कहने का मतलब यह है कि देश में जो कपड़ा का उत्पादन है, वह बड़ी देयनीय स्थिति में है । मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यदि कपड़े का उत्पादन सही मायने में अच्छे स्टैंडर्ड का होगा तो स्वाभाविक है लोग उस कपड़े को सस्ते दामों पर खरीदना चाहेंगे और नकली वस्त्रों पर अपने आप पाबन्दी लग जायेगी । 1964 में प्रति व्यक्ति औसतन कपड़े की उपलब्धता 16.85 मीटर रह गई थी 1976 में 11.36 थी और 1978–79 में 13.07 मीटर रह गई और पंचवर्षीय योजना में 14.71 मीटर और छठी पंचवर्षीय योजना में 15 मीटर की इन्होंने गुंजाइश की है । इस 15 मीटर में आप अन्दाजा लगाइये एक धोती या साड़ी कह लीजिए और ब्लाउज तथा कुरते इससे अधिक हिन्दुस्तान में लोगों को कपड़ा उपलब्ध नहीं होगा । मैं बड़े लोगों की बात नहीं कह रहा हूं । सरकार की सस्ते कपड़े की योजना चली । टेरीलीन, पोलिस्टर और अप्राकृतिक रेशम के कपड़े बनवा कर गरीब लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जाएंगे । टैक्सटाइल्स कारपोरेशन के पास 104 मिलें रूग्ण अवस्था में चल रही है । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि सस्ते कपड़े के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है । आप सुन कर आश्चर्य करेंगे कि 1973 से लेकर 1977 तक इन पांच वर्षों में कपड़े की घरेलू खपत बढ़कर 8 अरब 28 करोड़ मीटर से बढ़ कर 8 अरब 29 करोड़ हो गई, लेकिन मूल्यों में 37 अरब 46 करोड़ रु० जो मूल्य था वह बढ़ कर 63 अरब 32 करोड़ हो गया । इस प्रकार 70 फ़ीसदी मूल्यों में वृद्धि हुई है । जब मूल्यों में यह वृद्धि होती है, तो आम आदमी यह नहीं जानता है कि ग्वालियर रेयान

[श्री राजेश कुमार सिंह]

में कितनी वृद्धि हुई है या बिन्नी में कितनी वृद्धि हुई हैं। जब आदमी बाजार में जाता है तो उसे ग्वालियर की जगह गालियर लिखा जाता है और फ़गवाड़ा की जगह पगवाड़ा लिखा मिलता है। वह यह सोचता है कि यहां 15 रु० है और वहां 13 रु० है, तो क्यों न ले लिया जाए सस्ते कपड़े के बारे में सरकार की नीति रही है कि और सरकार उन्हें सब्सिडी दे देती है, उनको राशि की सहायता दे देती है और एक बड़ा मुनाफ़ा भी। पावर लूम्स में भी बड़ा मुनाफ़ा है। रूई के भाव किसानों को नहीं मिले। पंजाब और गुजरात के किसानों ने रूई को औने पोने भावों पर बेचा और कपड़े ये भाव बढ़ते रहे। हम भी यह चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े और देश का उत्पादन बढ़े और लोगों को सस्ते दामों पर कपड़ा उपलब्ध हो। पावर लूम्स के बारे में अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें ऐसा उल्लेख है कि पावरलूम्स मद्रास तमिलनाडू में कुछ काम कर रहे हैं, यहां के कुछ व्यापारी मिलकर नकली मोहर उस पर लगा कर ,उनका मोनोग्राम लगाकर बेचते हैं। इसलिए इस तरफ़ भी में आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस कानून में खामी है। एक्ट की धारा–75 में कहा गया है:—

"The Central Government may prescribe classes of goods (in this Chapter referred to as textile goods) to the trade marks used in relation to which the provisions of this Chapter shall apply and subject to the said provision, the other provisions of this Act shall apply to such trade marks as they apply to trade marks used in relation to other classes of goods."

यह सारा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। क्या वजह है कि छोटे-छोटे प्लास्टिक के खिलौने पर ट्रेडमार्क लगा रहता है, जो छोटी-छोटी कंपनियां लगाती है और काफ़ी बड़े पैमाने पर यह उद्योग चल रहा है। पावर लूम्स का विस्तार होने लगा है। हथकरघा की हालत तो आपको पता ही है। जो कल्पना हथकरघा की की गई थी, उसकी हालत खस्ता हो गई है। आप एक्ट का एक और प्रोविजन देखिए :——

"Any persons who..

(i) falsifies any trade mark,

(ii) falsely applies to goods any trade mark,

(iii) makes, disposes of or has in his possession any die, block, machinery or other instrument for the purpose of falsifying or of being used for falsifying a trade mark................ be punishable...."

12.15 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

यह इस में प्रावधान है। अब इस को आप पनिशमेंट समझ लें। खुलेआम दिल्ली के बाजारों में मुहरें बिक रही हैं और इस दिल्ली में खुले आम मुहरें और डाई बनाने वाले कारखाने चल रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि उसने आज तक इन के खिलाफ़ कोई कार्यवाही की है और कितनी गिरफ्तारियां आज तक की हैं। सरकार कब ऐसे लोगों को पकड़ कर बन्द करने का प्रयास करेगी।

कानून के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। यह जो एक्ट है, इसमें पनिशमेंट के प्रोविजन को आप देखें। इसमें यह लिखा हुआ है ;

"Unless be proved that act without intent to defraud be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or fine or both.."

इसमें कोई कठोर कारावास की बात नहीं है। फ़ाइन के बारे में राशि निर्धारित

नहीं है, कि इतना मिनीमम फ़ाइन होगा। माननीय मंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में कानून की खामियों की तरफ़ संकेत किया है जिन के कारण लोग छूट जाते हैं और सब तरह की सुविधाएं अपने लिये उपलब्ध कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या मंत्री जी इस पर कोई विचार करने जा रहे हैं कि कानून में संशोधन किया जाए, जिससे जो इस तरह की ट्रेड चल रही है, उस पर कोई प्रतिबंध लग सके और साथ ही साथ उसकी परिधि भी बढ़ाई जाए। मैं यह कहना चाहूंगा कि ट्रेड मार्क फीस में कोई कमी कर दी जाए, जिस से पावरलूम सैक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए पावरलूम फ़ैक्ट्रीज में भी ट्रेड मार्ग या मोनाग्राम की बात लागू हो सके। ये बहुत बुनियादी बातें हैं जो कि की जानी चाहिएं। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो ऐसे स्पूरियस ड्रग्स चल रही हैं, वैसे टैक्सटाइल में भी चलेगा। मान्यवर, कहीं कहीं तो अब नकली लोग भी चल रहे हैं। ये सारी खामियां हैं, जिन की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि क्योंकि इस में रिगरस इम्प्रिजिनमेंट की बात भी नहीं है। व्यापारी जानते हैं कि लाखों रुपये का कारोबार कर लो और अगर पकड़े गये तो सिम्पिल इम्प्रिजिनमेंट होगा। लाखों रुपयों का धंधा कर लेगें। और दो-चार महीने जेल में काट आएंगे। तो वह जो प्रावधान कानून में हैं, इनमें तब्दीली होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन पर विचार करेंगें और ऐसे लोगों को बन्द करने के लिए उचित कदम उठायेंगे?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, यह जो प्रश्न उठाया गया है, इनके भाषण के अन्त में जो प्रश्न उठाया गया है, उसी का उत्तर देना आवश्यक है, ऐसा मैं समझता हूं। बाकि जो प्रश्न उठाये गये हैं, उनके ऊपर आज ही इस सदन में ही टैक्सटाइल डिपार्टमेंट और काटन के बारे में विचार हो रहा है, उस समय वे इन प्रश्नों को उठायेंगे, तो मैं उत्तर दे सकता हूं क्योंकि इन का इस से कोई खास संबंध नहीं है। सामान्य सदस्य ने जिस एक्ट का उल्लेख किया, वह एक्ट सप्लाई मिनिस्ट्री से इम्पलीमेंट होता है, । उनके तहत वह आता है और उसमें क्या सुधार होना चाहिए, कितनी सज़ा के अन्दर बढ़ोतरी करनी चाहिए और किस प्रकार का बदल होना चाहिए, इसके बारे में वे ही कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हमने यह बताया था कि यह जो एक्ट है, इसको हम इम्पलीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे तहत यह नहीं आता है। इसके बावजूद भी हम को कहा गया कि जवाब दो, तो मैं जवाब दे रहा हूं। माडीफ़िकेशन्स के बारे में इस मिनिस्ट्री से कुछ बोलने के हक में मैं नहीं हूं मगर एक बात बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आज का जो कानून है, उसके अन्दर कुछ प्राविजन्स ऐसे हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है। एक प्रोविजन ऐसा है कि अगर कोई आदमी दूसरे का ट्रेड मार्क लेकर उसका उपयोग कर रहा है, तो उस आदमी को कोर्ट में जाने का अधिकार है और वहां जाकर, जिस आदमी ने इस प्रकार का काम किया है, उसके खिलाफ़ वह केस दाखिल कर सकता है वहां से उसको सज़ा भी हो सकती है और फ़ाइन भी हो सकता है। सिविल केस भी दाखिल किया जा सकता है और इस का प्रोविजन इस के अन्दर है ही मगर यह काग्नीजेबिल आफ़ेंस नहीं है। यह नान-कागनीजेबिल आफ़ेंस के स्वरूप में आता है और जिस आदमी के खिलाफ़ यह चीज़ हुई है, उसके लिए यह जरूरी होता है कि वह कोर्ट में जाए और अगर वह कोर्ट में नहीं जाता है, तो पुलिस अपनी ओर से कोई

[श्री शिवराज बी० पाटिल]

कार्यवाही नहीं कर सकती। इनके अन्दर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। जिस के खिलाफ़ यह गलत काम हुआ है, वह कोर्ट में इस मामले को ले जा सकता है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, नकली वस्त्र और समानान्तर नकली वस्त्र के व्यापार के सिलसिले में यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। मंत्री जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इन का वक्तव्य भी बहुत छोटा है लेकिन इससे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। यह समाचार अख़बारों में मुख्य रूप से छापा गया है और 4 अप्रैल के हिन्दुस्तान टाइम्स में जो यह खबर छपी है, उस को मैं आप के सामने बढ़ाना चाहता हूं।

"Parallel textile trade in Delhi."

इसी से इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सम्बन्ध है। मेरा ख्याल है और उपाध्यक्ष जी, आप भी सहमत होंगे कि केवल नकली कपड़े की बात ही यहां पर नहीं है, दवाएं भी नकली, दूसरे साबुन भी नकली, खाद्यान्न भी नकली।

एक माननीय सदस्य : सरकार भी नकली।

श्री रामावतार शास्त्री : हर तरफ़ चीज़ों में मिलावट है। स्वतंत्रता सेनानी भी नकली हो गये हैं जब लाखों लोगों ने आपको दरख्वास्त दी है कि और यह अखबारों में निकलता है। डाक्टर भी नकली। विधायक भी नकली बन कर अपना काम बना लेते हैं, मंत्री भी नकली बन जाते हैं। यह नकलीपन का साम्राज्य हमें खाये जा रहा है। इससे मेरा अन्दाजा होता जा रहा है कि यह सरकार भी नकली है। अगर नकली नहीं होती तो क्या इन चीज़ों को बर्दाश्त करती?

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : कम्युनिस्ट भी नकली है। दो ग्रुप हो गये हैं। अब असली कौन है, नकली कौन है?

MR. DEPUTY SPEAKER: Everything is spurious, except Ramavatar Shastri.

श्री रामावतार शास्त्री : अब देश में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस मुल्क में ये लोग कोई अच्छी चीज़ बचने देंगे या नहीं? यह सवाल लोगों के दिमाग में उठने लगे है। इन सवालों को मद्देनजर रखते हुए, मैं कुछ बातें जानना चाहता हूं।

पहले तो आप यह बता दें, यह जो हिन्दुस्तान टाइम्स में निकला है, इसका थोड़ा-सा हमारे राजेश जी ने पढ़ा है, मैं एक पैरा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"According to Mr. S. M. Heda, Sales Executive of the Jagjit Cotton Textile Mills, his company has filed complaints with the Police after buying samples of spurious textiles from the traders. Though the offence of cheating public through sale of spurious goods is actionable by the Police, the latter neither raided the premises of the business men involved in unrivalled racket, nor made any worthwhile investigation, he complained."

मेहरबानी करके यह बताइये कि जब यह रिपोर्ट निकली तो क्या इसके बारे में कोई छानबीन की गयी? अगर की गयी तो आप किस नतीजे पर पहुंचे? आप जिस नतीजे पर पहुंचे उसकी कोई जानकारी आपने नहीं दी। क्या इससे यह समझा जाए कि नकली कपड़े बनाने वाले लोगों की आपके अधिकारियों से मिली-भगत है? आपको इसका जवाब तो देना चाहिए था कि जब आपके पास लिखित कम्पलेंट्स आयीं तो आपने उन पर क्या कार्यवाही की? इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहता हूं कि इसका राज क्या है?

फिर आपने लिखा है कि —

"मंत्रालय तथा वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में नकली वस्त्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री की प्रामाणिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि समय-समय पर इनी-गिनी शिकायतें हो रही हैं ;

इस प्रामाणिक रिपोर्ट का क्या अर्थ है? प्रामाणिक रिपोर्ट आपको कौन देंगे? क्या इसके लिए आपने किसी को बहाल किया है। अगर किया है तो वे लोग कौन हैं और उन्होंने इसके बारे में कोई पूछताछ की या नहीं। खाली कह देने से काम नहीं चलेगा।

अखबारों में अप्रामाणिक चीजें भी निकलती हैं। थोड़ी देर के लिए मैं यह मान लेता हूं कि यह प्रमाणिक नहीं है। लेकिन आपके पास प्रामाणिक लोग कौन हैं, ऐसी कौन-सी एजेन्सी है? अगर है तो क्या उसने इसके बाद कोई कार्यवाही की है या नहीं? क्या उन्होंने आपको कोई रिपोर्ट दी है या नहीं?

हमें यह बात बतानी चाहिए।

तीसरी बात आपने बताई है, मैं पढ़ देता हूं —

"नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा प्रशासित व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पण्यों पर मिथ्या व्यापार चिह्न अथवा भ्रामक विवरण की मोहर लगाने से संबंधित अपराधों को रोकने तथा दण्डित करने के उपबंध शामिल हैं। अधिनियम के अंतर्गत सिविल तथा आपराधिक दोनों उपचारों की व्यवस्था है"

आपने व्यवस्था की बात तो बता दी, लेकिन इन व्यवस्थाओं को कहीं लागू किया गया नकलचियों को पकड़ने के लिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा देने के लिए, उनको रोकने के लिए, ताकि वे गलत ट्रेड-मार्क इस्तेमाल न करें, "लिमिटेड" की जगह "इम्रिटेड" न लिखें, इसके लिए आपने कोई कार्यवाही की है या नहीं? आपने कानून तो पढ़कर सुना दिया, लेकिन क्या यह कानून पन्नों की शोभा बढ़ाने के लिए ही रह गया है या कार्यवाही करने के लिए भी है —मैं यह जानना चाहता हूं।

अंत में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नकली कपड़े क्यों बन रहे हैं? इसका कोई न कोई कारण होगा। ये कपड़े इसलिए बन रहे हैं, क्योंकि सरकार आवश्यकता के मुताबिक कपड़े नहीं बना रही है। बम्बई में महीनों से मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, उनका समाधान आप नहीं निकाल रहे हैं, इसीलिए उत्पादन कम हो रहा है। कपड़ा कम है और प्रमाणिक उद्योग जो कपड़ा बना रहे हैं, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा है कि नकलची लोग इससे फायदा उठाकर जनता को, आपको और तमाम देश को धोखा दे रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए क्या उपाय हैं? यही उपाय मेरी समझ से है कि कपड़ा ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए, गरीबों के लिए सस्ता कपड़ा दीजिए, स्टेंडर्ड कपड़ा भी बन्द कर दिया है, इसकी पूरी व्यवस्था कीजिए, तभी आप नकली लोगों को रोक सकते हैं। इसके बाद उनको हिम्मत ही नहीं होगी, उनके कपड़े का कोई खरीदार ही नहीं होगा।

मेरे इन तमाम प्वाइंटेड सवालों का जवाब आप दीजिए, तभी हम समझेंगे कि मंत्री जी तो अच्छे है, इनका जवाब भी अच्छा है।

श्री शिवराज वी पाटिल : श्रीमान जी, शास्त्री जी ने प्वाइंटेड प्रश्न पूछे है, लेकिन

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

मुझे वे प्वाइंटेड नहीं लग रहे हैं तो जवाब कैसा आएगा, उनको पसंद होगा या नहीं होगा, यह मुझे पता नहीं है।

माननीय शास्त्री जी ने कहा है कि औषधियों में भी मिलावट होती है, अन्न में भी मिलावट होती है, इसी प्रकार से कपड़े में भी मिलावट होती है, लेकिन हमको इसमें अंतर करना होगा।

औषधियों को हम शरीर में लेते हैं और अन्न को भी शरीर में लेते हैं और इसकी वजह से हमारी जान को खतरा पैदा हो सकता है। तो कानून ऐसे बनाए गए हैं कि जो कोई ऐसी औषधियां बनाता है या जो कोई ऐसा अन्न रखता है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पुलिस को अधिकार दिया गया है, कुछ अधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं और जहां भी उनको यह चीज नजर आती है, वे उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। शास्त्री जी के लिए मैं बतला रहा हूं। जहां भी ऐसी कोई चीज नजर में आती है, दवाइयां या अन्न ; मिलावट हो रही है तो वे शरीर के लिए हानिकारक हैं और उससे जान को भी खतरा हो सकता है, यह ध्यान में रखकर कानून ऐसे बनाये गए हैं कि जिनके पास भी दवाइयां है या जो बनाते हैं या इस प्रकार का अन्न रखते हैं या मिलावट करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पुलिस को अधिकार दिए गए हैं। कुछ अधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं। वे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे समाज में, देश में जिन को अनाज से थोड़ा सा अलग माना गया है। उदाहरण स्वरूप आई० पी० सी० के नीचे अगर किसी ने किसी की जान लेने की कोशिश की तो एक प्रकार का आफेंस होता है और किसी को थप्पड़ मारा तो दूसरे प्रकार का होता है। जान लेने की कोशिश की तो पुलिस अपने आप कार्रवाई शुरू कर सकती है लेकिन थप्पड़ मारा तो उसके लिए पुलिस कार्यवाई शुरू नहीं कर सकती है। ऐसे लोग पुलिस के पास जाते हैं और कहते है कि मुझे थप्पड़ मारा है, उसके ऊपर कार्यवाई करो तो पुलिस नहीं कर सकती है, वह नान काग्निजेबल आफेंस होता है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए कानून कहता है कि कोर्ट में जाए। वह नाराज़ हो कर पुलिस थाने से वापिस लौट आता है। और शिकायत करता है कि थप्पड़ भी मारा लेकिन फिर भी कार्यवाई पुलिस ने नहीं की। उसी प्रकार की कुछ कुछ यहां भी व्यवस्था है। ट्रेड मार्क का मर्केंडाइज़ एक्ट के नीचे कोई आफेंस होता है तो कार्यवाई करने के लिए जिसके खिलाफ वह हुआ हो, जिसके ऊपर उसका दुष्परिणाम पड़ा हो, उसको आगे आकर कार्यवाई करनी होती है। अगर वह किसी अधिकारी के पास जा कर कहेगा कि यह हुआ है आप इसके ऊपर कार्रवाई करे, तो अगर अधिकारी के पास अधिकार न हों तो वह कार्रबाई नहीं कर सकता है। यहां भी ऐसी ही चीज़ है। ट्रेड मार्क का जो कानून है या जो ट्रेड एण्ड मरचेंडाइज़ मार्किट एक्ट 1958 है उसके अन्दर यह बताया गया है कि सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के केसिस किए जा सकते हैं और जिस के ऊपर परिणाम हुआ हो उस आदमी को ही आगे आना पड़ेगा, उस आदमी को ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसको वह पुलिस या दूसरे अधिकारियों के सामने नहीं जा सकता है। कपड़ा, अन्न या औषधि जैसा नहीं है। यह फर्क जब आपके ध्यान में आ जाएगा तो कितना किस का असर हुआ है, उस पर आप विचार कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं।

भारत में जगह जगह कपड़ा बनता है, देहातों में, हैंडलूम पर, पावरलूम्ज पर, मिलों में कपड़ा बनता है। उसका निरीक्षण, उसकी देखरेख करने के लिए, उसकी सुपरवाइज़ करने के लिए जितनी मशीनरी का निर्माण करना जरूरी होता है और जिस प्रकार की मशीनरी की जरूरत होती है वह सारी बनाई नहीं जा सकती है। यह अड़चन सरकार के सामने है। इसलिए कानून को लागू करने के लिए इसको इम्प्लेमेंट करने के लिए जो जिम्मेवारी है, जिस के खिलाफ वह चीज़ जाती है, उस की है। वही कोर्ट में जाएगा। यह सारा कुछ वह कर सकता है।

मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे मंत्रालय के अखत्यार की बात नहीं है यह देखना कि किसी ने स्टैम्प गलत लगाई है या सही। यह देखने का काम हमारे मंत्रालय को नहीं दिया गया है। दूसरे मंत्रालयों को दिया गया है। जो कपड़ा बना है उस में पोलीस्टर कितना है, काटन कितना है, ब्लैंडिंग प्रापर है या नहीं यह देखने का काम हमको दिया गया है। उसका इंटरप्रेटेशन करके उसको लम्बा करके उसके अन्दर उसको आप लाना चाहें तो ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं यह और बात है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जहां तक मार्क का सवाल है, नाप का सवाल है, सिक्के का सवाल है इसको देखना दूसरे मंत्रालय का काम हैं। गवर्नमेंट का एक हिस्सा न होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी यह नहीं है, यह मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन बारीकी से आप देखें तो हमारे क्षेत्र में यह चीज़ नहीं आती है, दूसरे मंत्रालय की तरफ जाती है। जब हम को कहा गया कि आपको जवाब देना चाहिये तो हम जवाब दे रहे हैं यहां पर।

जहां तक ज्यादा कपड़ा बनाने की बात है, कपड़ा पर्याप्त मात्रा में यहां बन रहा है। सब लोगों को मिलता है या नहीं यह दूसरी बात है। लेकिन कपड़ा पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है यह नहीं कहा जा सकता है। यह बात दूसरी है कि कपड़ा बना कर ज्यादा कीमत लेने की कोशिश की जाती है, ऊंचा दाम लिया जाता है। यह बात ठीक हो सकती है। लेकिन कपड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय ने अन्त में जो कहा है उससे सारा मामला ही खटाई में उन्होंने डाल दिया है। हम लोगों ने जो दिया था नोटिस उस में हम ने दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में नकली वस्त्र के समान्तर वस्त्र व्यापार के समाचार और इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में जानना चाहा था। मंत्री महोदय कहते हैं कि कार्रवाई करने का मुझ को अधिकार ही नहीं है। तब तो सारा मामला ज्यों का त्यों रह गया। मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं, जो काल अटेंशन है वह है की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में। और कार्यवाही करने को मंत्री जी कहते हैं कि इस मंत्रालय को अधिकार नहीं है। तो फिर जिस मंत्रालय को है उसको रेफर कीजिये, उस मंत्री से जवाब दिलाइये। . . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will get a reply. Do not put the question to me; you put the question to the hon. Minister.

SHRI RAM VILAS PASWAN: No, I am not asking a question.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You want a reply from me?

SHRI RAM VILAS PASWAN: I want your ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is the ruling you want? You address it to the Minister.

SHRI RAM VILAS PASWAN: No, I am not addressing it to the Minister just now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You cannot address it to me: that is what I am saying. It is concerned with the Minister. You can ask him a question.

श्री राम विलास पासवान : मैं तो आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

MR DEPUTY-SPEAKER: You can give another notice concerned with that Ministry

SHRI RAM VILAS PASWAN: How can I give another notice?

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR (Pilibhit): Sir, the Minister has said...

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, I am not allowing you. Let him ask the question.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I will not ask the question. Simply I want to know

मंत्री जी ने कहा है कि अभी वह लाचार हैं जवाब देने से । ऐक्शन टेकिन जो हैं यह दूसरे मंत्रालय से संबंधित है । और मेरे कहने का मतलब है होम मिनिस्ट्री से । आपने दिया है कामर्स मिनिस्ट्री को । वह ऐक्शन ले नहीं सकते हैं, जब कि सवाल संबंधित है ऐक्शन लेने से । तो यह मंत्री जी कैसे जवाब देंगे । इसको होम मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कीजिए वह जवाब देंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all right. He will reply. This is in connection with the question

SHRI RAM VILAS PASWAN: This is only a clarification.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is responsibility of the Minister of supplies?

श्री शिव राज वी० पाटिल : अभी भी गलती हो रही है जब आप कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री को भेज दिया जाय। मैंने कहा कि दो प्रकार के ओफेंसेज होते हैं—एक काग्नीजेबिल और दूसरा नान-कग्नीजेबिल । काग्नीजेबिल आफेंस होता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है । नान-काग्नीजेबिल आफेंस जो होते हैं उसके लिए कोर्ट में जा कर इजाजत ले कर फिर कार्यवाही की जा सकती है । और जो नान-काग्नीजेबिल आफेंस हैं सिविल नेचर के होते हुए क्रिमिनल ऐलीमेंट कम होता है । जो आपने यहां पर बताया है उसके अन्दर जो कार्यवाही है वह सिविल नेचर की ज्यादा है और क्रिमनल ऐलीमेंट कम होने की वजह से, ऐसा मुझे बताया गया है, यह नान-काग्नीजेबिल आफेंस है और जिसके खिलाफ हुआ है उसको कोर्ट में जा कर करना चाहिये । इसमें गवर्नमेंट के ऊपर क्रिमिनल केस डालने की जिम्मेदारी नहीं डाली गई है ; अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वह सिवल केस भी कर सकता है । दूसरी बात आपने यह कही कि कितने केसेज इस कानून के नीचे किये हैं कितनों को पकड़ा है ? इसकी सूचना सप्लाई मिनिस्ट्री को होगी । अब यह सवाल पैदा हो जाता है कि आपने हमको ऐंडेस किया है, हमारे पास आया है, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं । मैंने बताया यह सिर्फ ए और बी का सवाल नहीं है, उसके अन्दर काग्नीजेबिल और नान-काग्नीजेबिल और सिविल और क्रिमिनल नेचर का सवाल भी आ जाता है । यह समझने के बजाय. . . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now he is putting the question

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Does the Minister mean to say that the supply of replies is the responsibility of the Minister of supplies!

MR. DEPUTY-SPEAKER: He referred to cognizable and non-cognizable offences.

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ही गम्भीर मामला है, भले ही इसकी नेचर दूसरी हो । लेकिन इंटेशन तो वही है, जिसको मुनाफा कमाने की इंटेंशन है तो जो आदमी जाली वस्त्र बना सकता है, वह जाली दवाई भी बनायेगा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं । और दूसरी बात यह है कि मंत्रालय कोई भी हो लेकिन सरकार तो एक है । तो दूसरे मंत्रालय से, सप्लाई मिनिस्ट्री से सूचना ले सकते थे।

प्रो० मधु दण्डवते : उसमें भी गड़बड़ है ।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं । एक आदमी ने लिखा–डिअर आई जी, योर्स पी एम । जनरली लोग मीनिंग लगाते हैं आई जी का इंस्पेक्टर जनरल और पी एम का प्राइम मिनिस्टर । लेकिन जब पत्र पढ़ा गया तो उसमें लिखा था––आई जी का इंदिरा गांधी और पी एम का पीलू मोदी ।

मैं यह कह रहा हूं कि इस पेपर में इस प्रकार के बहुत मामले आये हैं। इन्होंने इसमें फगवाड़ा के संबंध में लिखा है, ग्वालियर के संबंध में लिखा है । Gwalior के संबंध में बदमाशी करता है और लिखता है Gwallor यानी आई के बदले में एल और Phagwara की जगह में Paagwara । अभी हम देख रहे थे। एक लड़का लिफ्ट में जा रहा था उसके कालर पर लिखा था यू० एस० ए० । इस यू०एस०ए० का मतलब है यूनाइटेड सिन्धी एसोसियेशन । लेकिन उसमें अन्तर क्या था––मेड इन नहीं था बल्कि मेड बाई था । इसी तरह से बी एस सी के मायने बाटा शू कंपनी भी है और भारत शू कंपनी भी है । नीचे छोटा सा रुमाल में लिखा रहता है । इस तरह का सारा मामला चल रहा है । यह आपके नालेज में भी है, हमारे भी हैं और आपके मंत्रालय के तमाम अफसरों के नालेज में भी है । आप इस बारे में अपनी लाचारी बतला रहे हैं ।

यह पूरे का पूरा मामला किसी पेपर में नहीं निकला है, सिर्फ हिन्दुस्तान टाइम्स में निकला है । हमने रैफरेंस सैक्शन से भी इस बारे में जानकारी मंगाई है उन्होंने भी यही कहा है कि सिर्फ हिन्दुस्तान टाइम्स में ही निकला है । तो निश्चित रूप से कालिंग अटंशन बेस हुआ हिन्दुस्तान टाइम्स की जानकारी पर, तो हिन्दुस्तान टाइम्स में में जो ऐलीगेशन्ज लगाये गये थे, कम-से कम उनको तो मंत्री जी को वैरीफाई करना चाहिये था, उसके बारे में तो निश्चित जानकारी सदन को देनी चाहिये थी। उसके सम्बन्ध में जिस प्रकार ऐलीगेशन्स लगाये, जिसका नाम हमारे साथी ने लिया श्री एस० एन० हेड़ा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जिन्होंने ऐलीगेशन्स लगाये और रिपोर्ट की उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपने कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं होगी, तब तक कार्यवाही नहीं होगी । वह कहते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट की लेकिन उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई ।

यह दो चीजें हैं। इसलिए मंत्री जी जब जबाव दें तो यह बतलावें कि सेल्स मैनेजर ने जो लिखित सूचना दर्ज की

[श्री राम विलास पासवान]

तो उसको दर्ज किया गया या नहीं; आपने उसका पता लगाया या नहीं ? यदि उसने दर्ज की है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई, किन-किन लोगों पर मुकदमा चला है, किन-किन की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों के खिलाफ प्रासीक्यूशन का मामला चला है ?

उसमें सीधा सा ऐलीगेशन है कि जो सरकारी अधिकारी है, और जो गलत काम करते हैं, इनकी दोनों की सांठ-गांठ है। क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जानकारी हासिल की है ? यदि नहीं की है तो क्या भविष्य में सरकार इस संबंध में जांच करेगी कि जो ऐलीगेशन लगाये गये हैं, वह सही है या गलत हैं ?

जो आपने ऐक्ट का हवाला दिया, मेरे पास एक्ट है। इसमें आपका न एक्ट है, न टेक्ट हैं और न फैक्ट है। इस तरह के एक्ट को या तो आप जलाकर फेंक दीजिए या इसमें कुछ करना है तो क्या आप समें कोई संशोधन करने जा रहे हैं जिससे यह कारगर बन सके ? क्या इसमें कोई नई धारा जोड़कर आप कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसमें थोड़ी भी गलती समझने में हो रही है। यह सब झगड़ा यह बता रहा है कि हमारे देश में जो कारोबार चलता है, वह कानूनी तरीके से चलता है। उस कानून का क्या स्वरूप होता है वह ध्यान में रख लेने के बाद इन चीजों के बारे में पूरी तरह स्पष्टता हो सकती है। मैं यह कह रहा हूं कि दो प्रकार के आफैन्सेज हैं--एक नान काग्नीजेवल और दूसरा काग्नीजेवल। नान-काग्नीजेवल होने से आफीसर्स को या दूसरों को कार्यवाही करने में एक प्रकार की मर्यादा हासिल है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Democracy itself is also a rule of law.

श्री राम विलास पासवान : वह कहता है कि उसने दर्ज कराया है। सवाल यह है कि उसने दर्ज कराया है या नहीं कराया है। अगर कराया है, तो क्या कार्यवाही की गई है। उसने टेक्सटाइल मिल का नाम दिया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please hear him and ask for clarification thereafter. I will allow you.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will take care of...

SHRI RAM VILAS PASWAN: What is the use of Calling Attention?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must be fair to the Minister.

SHRI RAM VILAS PASWAN: You must be fair to me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am fair to all.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen, he is replying to you

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन सिर्फ समझ की गलती से ये सारी बात सामने आ रही है, मैं गवर्नमेंट का एक भाग, हिस्सा हूं, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि कितने केसिज दाखिल किए गए, किस पर दाखिल किये गये, कब दाखिल किये गयें। जब तक सारे कागजात मेरे सामने नहीं आयेंगे, तब तक मैं इस बारे में मालूमात नहीं दे सकूंगा। जो गलतफहमी हो गई है, पहले मैं उसको दूर करना चाहता हूं। जो कुछ हम कर सकते हैं, यदि मैं में उसके बारें में बताऊंगा लेकिन अगर माननीय सदस्य पहले से यह समझ कर चलेंगे कि यह होना चाहिये; वह होना चाहिये, तो वह नहीं हो सकता।

यहां पर कानन का राज्य चलता है। श्री पासवान या हम जो दिल में चाहते है, वह नहीं हों सकता।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्य के मन में जो चिन्ता नजर आती है, वह इस प्रकार है कि अगर कोई इस तरह से अलग तरीके से कपड़ा तैयार करता है, तो क्या गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ कार्यवही कर सकती है या नहीं, या अगर झूठ या गलत मर्कि लगाया जाता है, तो गवर्नमेंट कोई कार्यवाही कर सकती है या नहीं। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा मैं नहीं कहने जा रहा हूं। लेकिन इस बारें में काम करने का जो बंटवारा हुआ है, उसके मुताबिक हम कार्यवाही करेंगे इस कालिंग एटेन्शन नोटिस के द्वारा माननीय सदस्यों ने जो कम्प्लेट की है, जहां उसको पहूंचाना चाहिये, वहां हम उसको जरूर पहुंचाएंगे। माननीय सदस्यों की भावना को भी हम वहां पहुंचायेंगे। लेकिन अगर माननीय सदस्य मेरी मिनिस्ट्री से कुछ करने के लिये कहेगे, तो कानून के अनुसार जो कुछ हो सकता है, हम वहीं करेंगे, उसके अतिरिक्त हम नहीं कर सकते। माननीय सदस्य को एक दिशा में जाना चाहिये था। लेकिन वह दूसरी दिशा में चले गये हैं। जो कुछ वह चाहते है, वह इससे उन्हे नहीं मिलेगा। उसके लिये उन्हे दूसरी जगह जाना पड़ेगा।

मैं यह नहीं कहता कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसमें कोई गलती है। गवर्नमेंट में होंने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। जिस हद तक वह जिम्मेदारी है, उस हद तक हम करने की कोशिश करेंगे। यह एशोंरेस नहीं है, लेकिन जो कुछ हम कर सकते हैं, वह जरूर करेंगे। लेकिन इसके कानूनी पहलू को ध्यान में रखना जरूरी है। इस सदन में आ कर माननीय सदस्य कहने लगे कि हम यह करें, वह करे, और अगर हम करेंगे, तो कल वे ही पूछेंगे कि आपने क्यों किया। जो हो सकता है, वह किया जायेगा। जो नहीं हो सकता, उसमें मजबूरी है। जो दुरुस्ती करने की बात है, वह हम उनको पहुंचा देंगे और अगर वह करना चाहेंगे तो करेंगे।

SHRI RAM VILAS PASWAN: I asked certain question. What about the amendment to this Act?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: You will please understand that the implementation of this Act is not the responsibility of the Commerce Ministry. I cannot move an amendment to this Act. I, as a Commerce Minister, cannot move an amendment to this Act. This has to be done by the Supply Ministry. Please understand that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri K. A. Rajan. He is not there. We now take up matters under 377

12.50 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR STARTING CORROSION REPAIRING SECTION AT MANCHESHWAR RAILWAY WORKSHOP, ORISSA

*SHRI CHINTAMANI JENA (Balasore): Sir, I would like to raise the following matter under Rule 377:

The corrosion repairing work of Mancheshwar Railway Workshop, Orissa, has been closed indefinitely after working for few hours on the day of its inauguration. This section of Mancheshwar Railway Workshop was inaugurated by the former Minister of Railways on 12th November, 1981. It was expected that corrosion repairing work will start with full swing in this section as there is a great demand of the repairing of the passenger coaches in this region.

---

*The original speech was delivered in Oriya.